न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग – 1279 – I – 16

प्र0क0 R .... I / 16 निगरानी

बलराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी ग्राम सिलपुरी तह0 करहाल जिला श्योपुर म0प्र0 ....आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 18/4/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– आदित्येन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गोठरा तह0 करहाल जिला श्योपुर म0प्र0

2– मध्यप्रदेश शासन

........................अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 22/03/2016 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय करहाल जिला श्योपुर के प्र0क0 9/15–16 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम सिलपुरी तह0 करहाल जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 884/14 रकवा 1.254है0, सर्वे क0 884/17 रकवा 1.045है0, सर्वे क0 884/21 रकवा 1.254है0, सर्वे क0 884/22 रकवा 1.045 है0 का आवेदक तहसील करहाल के प्र0क0 56/12–13 ×अ/6 में पारित आदेश दिनांक 20/05/2013 द्वारा आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया।

2– यह कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार महोदय करहाल के आदेश के विरूद्व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय करहाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र0क0 09/15–16 अपील पर पंजीबद्व की गई।

3– यह कि आवेदक द्वारा धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत किया तथा अपील की प्रचलनता के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की तथा यह प्रार्थना की कि धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का सर्वप्रथम निराकरण किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/03/2016

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.1219-एक/2016 जिला श्योपुर

बलराम विरूद्ध आदित्येन्द्र सिंह अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कराहल जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2015-**16/**अपील/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	